

27-01-25 पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय में अधि.
वादी एवं वादी के नाम से अलग-अलग
समय पर तीन बार आवाज दिलाई गई।
कोई उपस्थित नहीं।

इससे स्पष्ट होता है कि अधिवक्ता वादी
एवं वादीगण अपने वाद को लेकर गंभीर नहीं हैं।
लिहाजा वादी का वाद अपने 'अदम हजिरी'
व 'अदम पैरवी' में इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है।

पत्रावली फैसल नुमा होकर दाखिल दफ्तर
हो व नंबर से कम हो।

27/01/25
सहायक कलक्टर
(SDO), बाड़मेर

